

वि. सं. 29-21/2022-स्थापना/आर.टी.आई.

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन,
आई.ए.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा,
नई दिल्ली-110012
दिनांक: 21 जुलाई, 2022

सेवा में,

Ms. Ance Teresa Varghese
C/o Lovely Varghese, Mali House
Punnayam, Asamannoor(PO)
Ernakulam District, 683549
(Karnataka).
Email : ance4u@gmail.com

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति-विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए Ms. Ance Teresa Varghese, Karnataka, से प्राप्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सूचना देने से संबंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/22/00047 दिनांक 23.06.2022)

महोदय,

कृपया अपने आर.टी.आई अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्या का अवलोकन करें जिसमें आर.टी.आई अधिनियम 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना निम्नवत् है :-

क्रमसं.	मौगी गई जानकारी	जवाब
1	How much amount has been dispersed for agricultural rehabilitation in Kerala as well as Wayanad in the post-flood period and how much has been used.	Does not pertain to Directorate of Extension.
2	How many beneficiaries have been covered under different grama panchayats in Wayanad?	Does not pertain to Directorate of Extension.
3	What are the issues of farmers and agricultural laourers in Wayanad, the government is trying to mitigate?	Does not pertain to Directorate of Extension.
4.	What are the services delivered by the Government to the farmers and agricultural labourers of Wayanad?	ATMA Scheme : A Centrally Sponsored Scheme "Support to State Extension programs for Extension Reforms" popularly known as ATMA Scheme is under implementation since 2005 (including all the 14 districts of Kerala). Presently, the scheme is being implemented in 704 districts of 28 states & 5 UTs of the country. The scheme promotes decentralized farmer-friendly extension system in the country. The objectives of the Scheme is to support State Government's efforts and to make available the latest agricultural technologies and good agricultural practices in different thematic areas of agriculture and allied areas to farmers through different extension activities viz. Farmers Training, Demonstrations, Exposure Visits, Kisan Mela, Mobilization of Farmers Groups and organizing Farm Schools etc.

... 2/-

आपको सूचित करना है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिये यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत् है :-

डा. शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार),
विस्तार निदेशालय,
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
कमरा संख्या 216, कृषि विस्तार भवन,
आई.ए.एस.आर.आई. कैंपस, पूसा, नई दिल्ली-110 012,
दूरभाष:- 011-25847660 व ई-मेल पता:-shailesh.mishra29@gov.in

Deepa
22/7/2022

(दीपा पांडे)
उप निदेशक (प्रशासन एवं सी.पी.आई.ओ.)
दूरभाष:- 011.25846467
ई-मेल:- deepa.pande65@gov.in

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई), आर.टी.आई सैल, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. ईचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जवाब को विस्तार निदेशालय की वेबसाइट www.krishivistar.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।